बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं0सं0—9 / आ0—01—20 / 2023(स्वा0) ......................./ पटना, दिनांक:—.................................

डॉ० मेघा प्रसाद, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, छपरा द्वारा आवेदन समर्पित कर अवगत करायी गयी कि विभागीय अधिसूचना सं०—1190(2) दिनांक—02.09.2021 एवं सिविल सर्जन, लखीसराय के पत्रांक—1431 दिनांक—07.09.2021 के अनुपालन में दिनांक—07.09.2021 को कर्त्तव्य पर योगदान समर्पित का प्रभार ग्रहण की गयी। वे दिनांक—07.09.2021 को SKMCH मुजफ्फरपुर में जुनियर रेजिडेंट का पाठ्यक्रम पूरा करने पर विरमित हो गयी। पाठ्यक्रम पूरा करने के उपरान्त उनके द्वारा दिनांक—07.09.2021 को विभाग में योगदान समर्पित की गयी। विभागीय अधिसूचना सं०—2030(2) दिनांक—30.12.2022 द्वारा डॉ० प्रसाद को सदर अस्पताल, छपरा में पदस्थापित किया गया। परन्तु माताजी के अस्वस्थता के कारण उनके द्वारा नवपदस्थापित स्थान पर योगदान नहीं किया जा सका। माँ की तबीयत ठीक होने के उपरान्त डॉ० प्रसाद द्वारा दिनांक—22.11.2023 को सदर अस्पताल, छपरा में योगदान समर्पित की गयी। डॉ० मेघा प्रसाद का अभ्यावेदन जो दिनांक—29.10.2024 को विभाग में प्राप्त हुआ है जिसमें उनके द्वारा योगदान हेतु समर्पित आवेदन के परिपेक्ष्य में अधीक्षक, सदर अस्पताल, छपरा को मार्गदर्शन उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है।

2. डॉ० मेघा कुमारी द्वारा पदस्थापित स्थान पर योगदान करने हेतु की गयी अनुरोध के समीक्षोपरांत डॉ० मेघा कुमारी का योगदान स्वीकार करते हुए उनसे कार्य लिये जाने का निर्णय लिया गया है।

3. सिविल सर्जन, छपरा को निदेशित किया जाता है डॉ० मेघा कुमारी को आदेश निर्गत की तिथि से योगदान स्वीकार करते हुए उन्हें पूर्व पदस्थापित स्थान का प्रभार ग्रहण की गयी। डॉ० मेघा कुमारी का योगदान करने की सूचना से अविलंब विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

4. डॉ० मेघा प्रसाद, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, छपरा के विरूद्ध अनधिकृत अनुपस्थिति के आरोप में विहित प्रपत्र में आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराया जाय।

5. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह० / —

(उपेन्द्र राम)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक—9 / आ0—01—20 / 2023(स्वा0) 43(9) / पटना, दिनांक:— 14.01.25

**प्रतिलिपि**:—महालेखाकार, (ले0 एवं हक0) बिहार, पटना / प्रभारी पदाधिकारी, वित (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना / कोषागार पदाधिकारी, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपि**:—क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, सारण प्रमण्डल, छपरा / सिविल सर्जन, सारण को निदेशित किया जाता है कि डॉ० मेघा कुमारी के कर्त्तव्य पर योगदान करने से संबंधित प्रतिवेदन के साथ विहित प्रपत्र में आरोप—पत्र विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें।

**प्रतिलिपि**:—डॉ० मेघा प्रसाद, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपि**:—माननीय मंत्री स्वास्थ्य के आप्त सचिव / अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव / निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाऐ बिहार पटना / अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग / प्रभारी प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा—2, 3, 7, 8, 17 एवं 18A स्थापना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपि**—आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

14/01/2025

सरकार के अवर सचिव।